Signature........हरिन्द्र सिंह........
ACC Name-HARINDRA SINGH
ACC Code- UP14408304
ACC Address-Tehsil Campus, Deoria
Mobile No:- 9336417140
Licence No- 80
Tehsil- Deoria, District- Deoria (U.P.)

विनोद सिंह

IV 111/21

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

LOCKED

सत्यमेव जयते

उप निबन्धक
सदर देवरिया

Certificate No.	:	IN-UP90307187381973T
Certificate Issued Date	:	05-Oct-2021 04:17 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14408304/ DEORIA SADAR/ UP-DRA
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14408304697374610793117
Purchased by	:	SPRINGSHINE EDUCATIONAL TRUST BY VAKIL SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SPRINGSHINE EDUCATIONAL TRUST BY VAKIL SINGH
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SPRINGSHINE EDUCATIONAL TRUST BY VAKIL SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

800

Please write or type below this line

वकील सिंह

QT 0005073801

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

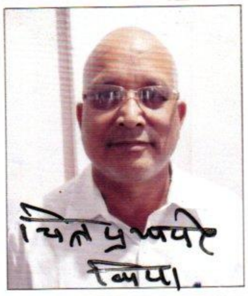

विनोद सिंह स्व0
5-10-2021

ट्रस्ट–डीड/न्यास पत्र

मैं वकील सिंह पुत्र स्व0 राम प्रसाद सिंह ग्राम–भगौतीपुर, पो0–धनौतीखुर्द, जिला देवरिया का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रुप से अर्जित धन में से रुपया 10000 (दस हजार रुपये) देकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/न्यास की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों/उपबन्धों के अंतर्गत की जायेगी।

1	**ट्रस्ट का नाम**	:	स्प्रींगशाईन एजूकेशनल ट्रस्ट Springshine Educational Trust
2.	**ट्रस्ट के कार्यालय का पता**	:	न्यू कालोनी, देवरिया जनपद–देवरिया (उ0प्र0) पिन कोड–274001
3.	**कार्य क्षेत्र**	:	सम्पूर्ण भारवर्ष
4.	**ट्रस्ट की सम्पत्ति**	:	वर्तमान में 10000 रुपये के अतिरिक्त ट्रस्ट की कोई सम्पत्ति नही है।
5.	**ट्रस्ट का उद्देश्य**	:	ट्रस्ट का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है–

5.1 बालवाड़ी, आँगनबाड़ी, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का प्रसार व संस्थान स्थापित करना। चिकित्सा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा पारम्परिक भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद, उपनिषद, वैदिक, ज्योतिष, आयुर्वेदिक, नैसर्गिक, चिकित्सा, रत्न विज्ञान, मेडीटेसन (मनन) आदि पर आधारित शिक्षा, व्यवहार एवं स्वास्थ्य का विकास एवं प्रसार हेतु संस्थान स्थापित करना, जागरुकता प्रदान करना।

5.2 उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवन–यापन को बढ़ावा देना।

वकील सिंह

5.3 उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं/अनुसंधान केन्द्रों तथा व्यवहारिक कार्यक्रम को बढ़ावा देना।

5.4 उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओ, प्रशिक्षण शिविर, सेमीनार एवं संगोष्ठी का आयोजन करना।

5.5 उपरोक्त कार्यक्रम में लिप्त संगठनों, समूहों या व्यक्ति को सलाह प्रदान करना।

5.6 पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थानों को स्थापित करना तथा इसके प्रति जन जागरुकता लाना एवं वृक्षारोपण करना एवं कराना।

5.7 जीव–जन्तु, पशु–पक्षी, दुर्लभ जन्तु का रख–रखाव, दवा व उनकी सुरक्षा, उनकी संख्या वृद्धि के लिए प्रयास करना तथा वाइल्ड लाइफ एवं वन विभाग की मदद करना।

5.8 लावारिस मवेशियों की मदद, उनकी दवा, उनकी सुरक्षा आदि का प्रबन्ध करना।

5.9 पशु–पक्षियों के रख–रखाव, सुरक्षा, उनका इलाज व दवा आदि का प्रबन्धन करना।

5.10 न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना, जिससे कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सके।

5.11 इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जाये, जैसे प्रेस परिपत्र (सरकुलर्स) इसके कार्यों की प्रदर्शनी, पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।

5.12 न्यास के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अनुरोध एवं संदर्भ पुस्तकालय स्थापित करना तथा उसमें पढ़ने–लिखने के कमरे स्थापित करना और पुस्तकों, पत्रिकाओं,समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों को उपलब्ध कराना।

5.13 अस्पताल, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्ध तथा विधि विद्यालय, प्रसूति गृह, बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या, गृह केन्द्र तथा अन्य इसी प्रकार के संस्थानों की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में स्थापना करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।

5.14 परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना एवं उनको बढ़ावा देना।

5.15 विभिन्न संक्रामक/गैर संक्रामक बीमारियों जैसे एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलिया, मोतिवाबिन्द आदि के रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों के साथ सहयोग करना।

5.16 उद्यान (पार्क) व्यायामशाला, क्रीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, रैन बसेरा, सार्वजनिक प्याऊ, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जन सामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।

आवेदन सं०: 202100959013620

न्यास पत्र

बही स०: 4 | **रजिस्ट्रेशन स०: 111** | **वर्ष: 2021**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

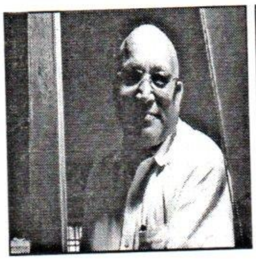
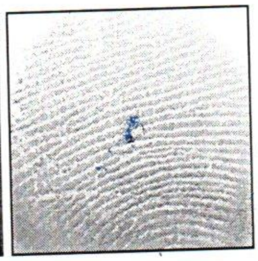

श्री वकील सिंह ,
पुत्र श्री स्व0 राम प्रसाद सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम भगौतीपुर पोस्ट धनौतीखुर्द जिला देवरिया

वकील सिंह

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 05/10/2021 एवं 04:55:12 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिषेक कुमार सिंह
उप निबंधक :सदर
देवरिया
05/10/2021

चन्द्र मोहन सिंह
निबंधक लिपिक

5.17 सभी धर्म के लोग को संगठित करना तथा सेवा आदि के लिए उनके धर्म संस्थानों को निर्मित करना और उसका प्रबन्धन करना।

5.18 विचारकों, विधवाओं, अंधो, वृद्धों, गरीब, जरुरतमंदों, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए आश्रम गृह, धर्मशाला, नवजात शिशुओं के लिए आश्रय गृह, अनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोगों की सहायता करना।

5.19 अन्य सार्वजनिक (पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।

5.20 कृषि बागवानी, पशुपालन, गृह उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार विरोध कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा, प्राथमिक, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, सांस्कृतिक, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायतीराज, बैंकिंग, भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्तकता, समन्वयक, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यम, एड्स नियंत्रण, गंगा, यमुना आदि नदी स्वच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारिता समितियां, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डार, विचार प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाएं आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना।

5.21 सड़क सुरक्षा हेतु जागरुकता कार्यक्रम चलाने में स्थानीय प्रशासन की मदद करना।

5.22 आपदा नियंत्रण हेतु जन समूह को जागृत करना, इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण और कोष बनाना।

5.23 प्राकृतिक आपदा पीड़ितों हेतु विशेष सहायता उपलब्ध कराना, जीवन रक्षा व निर्माण हेतु आवश्यक समस्त मूलभूत सेवायें प्रदान करना और कराना, इस हेतु स्थान विशेष पर सेवा उपलब्ध कराना।

आवेदन सं०: 202100959013620

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 111 | वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री वकील सिंह, पुत्र श्री स्व0 राम प्रसाद सिंह

निवासी: ग्राम भगौतीपुर पोस्ट धनौतीखुर्द जिला देवरिया

व्यवसाय: अन्य वकील सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रामसुमेर पाण्डेय , पुत्र श्री राजबंशी पाण्डेय

निवासी: साकिन म0 नं0 4/10 वार्ड नं0 16 कलिन्द पब्लिक स्कूल न्यू कालोनि देवरिया

व्यवसाय: अन्य रामसुमेर पाण्डेय

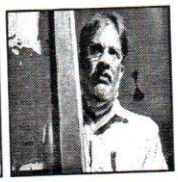

पहचानकर्ता : 2

श्री आदर्श सिंह , पुत्र श्री नन्दकिशोर सिंह

निवासी: साकिन मुन्डेरा मल्ल तहसील व जिला देवरिया

व्यवसाय: अन्य आदर्श सिंह

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिषेक कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
देवरिया

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

चन्द्र मोहन सिंह
निबंधक लिपिक

दफ्तर सब रजिस्ट्रार सदर जिला देवरिया
सत्य मेव जयते

5.24 भूमिगत जल संरक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित करना और जन जागरुकता लाना।

5.25 नारी उत्थान महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान चलाना व चलवाना, बाल विवाह निषेध तथा विधवा विवाह हेतु प्रोत्साहन व जागरुकता उत्पन्न करना, महिलाओं हेतु विभिन्न औद्योगिक इकाईयों का गठन करना।

5.26 उपरोक्त सभी क्रिया कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अर्तराष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरुक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना।

5.27 अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।

5.29 ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना तथा दान एवं अन्य सहयेाग से समय–समय पर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।

5.30 छात्र/छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधाऐं भी हो, स्थापित करना/कराना, धर्म सम्मेलन कराना, धर्म सभा का आयोजन करना और धर्म के जनहित के विशेष रीति–रिवाजों को शास्त्र सम्मत तरीके से प्रचार–प्रसार करना/कराना।

5.31 स्कूल, कालेज, तकनीकी संस्थाओं यथा विधि/कामर्स/विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी0बी0ए0/एम0बी0ए0), कम्प्यूटर अप्लीकेशन (बी0सी0ए0/एम0सी0ए0), इन्फार्मेशन टेक्नालाजी (आई0टी0)/ मास कम्प्यूनिकेशन/ फार्मेसी/ नर्सिंग/ पैथालाजी/ लैब टेक्निशियन/ आई0टी0आई0/ पालीटेक्निक/ इंजीनियरिंग स्कूल/ सिविल/ आर्किटेक्चर/ इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रानिक/ एयरोनाटिकल/ मैकेनिकल/ केमिकल/ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग कोर्सेज व अन्य दूसरे जॉब ओरिएण्टेड कोर्स) व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के स्नातक व परास्नातक शिक्षण, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यवसायिक कोर्स हेतु कालेज की स्थापना करना व संचालन करना।

5.32 नर्सरी स्कूल, प्राइमरी, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम) व अन्य प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

5.33 मेडिकल कालेज, डेण्टल कालेज, अस्पताल एवं इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करना व संचालन करना।

5.34 कम्प्यूटर कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।

6. ट्रस्ट की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियां–

ट्रस्ट की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट संस्थापक द्वारा दिये गये दस हजार रुपये को ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा।

आवेदन सं०: 202100959013620

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 103 के पृष्ठ 33 से 62 तक क्रमांक 111 पर दिनाँक 05/10/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिषेक कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
देवरिया
05/10/2021

7. **ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/न्यासी परिषद के अधिकार व कार्य–**

ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति/न्यासी परिषद अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरुप निम्नलिखित शक्तियां धारण करेंगी।

7.1 ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रुप में शर्तों के साथ या बिना शर्तों के स्वीकार करना।

7.2 न्यास पत्र की शर्तों के अधीन न्यास की सम्पत्तियां तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय–समय पर उपयोग करना।

7.3 न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियां प्राप्त करना।

7.4 न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना, लाइसेन्स पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।

7.5 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 3(1) तथा धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरुप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

7.6 विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना, उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना।

7.7 न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना, अनुबन्ध करना तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।

7.8 न्यास के उद्देश्यों हेतु अनुदान प्राप्त करना या देना, उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।

7.9 सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्युनिसिपल तथा स्थानीय निकास आदि के सम्मुख प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें, वाद, अपील, रिव्यू चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल के समक्ष आदि को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरुद्ध दायर किये गये हो, न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।

7.10 न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यों हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवाएं समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

7.11 न्यास की सम्पत्ति या क्रिया–कलापों के जरुरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे, उनका वहन करना।

7.12 न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना आदि तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।

7.13 न्याय परिषद की सहमति पर अपनी कुछ शक्तियां किसी न्यासी को या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिर्धारित करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।

7.14 न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो।

7.15 न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय–समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

7.16 न्यासी राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही, शर्तों, दावों, मांग, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौपने तथा समायोजित करना।

7.17 समय–समय पर मुख्तार–ए–आम या मुख्तार–ए–खास या अभिकर्ता की नियुक्ति करना और मुख्तार–ए–आम या मुख्तार–ए–खास या अभिकर्ता को अपनी शक्तियों का प्रतिनिधित्व देना और अधिकृत करना तथा समय–समय पर ऐसे मुख्तार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति करना।

7.18 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनायें बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया–कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनायें तथा परिनियम बनाना व उसमें परिवर्तन करना।

7.19 जनहित में किसी भी संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।

7.20 न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित और न्यास निधि मे जमा करना।

7.21 देश व विदेश में ऐसे न्यास, संस्थायें/सोसाइटी/संगठन आदि को न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हों तथा और किसी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। ऐसे न्यासों एवं

संस्थाओं/समितियों/संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।

7.22 संस्था के खातों को व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्यकलापों, कार्यवाहियों, मांगो, दावों या वाद–विवाद में जैसा उचित समझे समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फैसले हेतु सौपना।

7.23 न्यास की सम्पत्ति जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि, देय ब्याज इत्यादि की शर्तो का निर्धारण न्यासीगण के विवेकानुसार किया जायेगा।

7.24 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सहकारी संस्थायें, कार्पोरेशन, कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना–पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तों को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों, सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान की प्राप्ति तथा ऋण वापसी इत्यादि की शर्ते इत्यादि निर्धारित करना।

7.25 न्यास की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या अपने में आमेलित करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।

7.26 न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिसके उद्देश्य समान हों) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इन न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।

7.27 ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना जिसका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।

7.28 इस न्यास में जिन न्यासों, संस्थाओं, सगंठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना।

7.29 न्यास की सम्पत्ति, अस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।

7.30 न्यास को उन अन्य समिति, संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तों में सौंपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझे, परन्तु इस सम्बन्ध में ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेंगे और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।

7.31 न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चों को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे

सम्बन्धित होने वाले बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते है। और उन नियमों को समय–समय पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम ट्रस्टी द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रभावी होंगे।

7.32 न्यास व इनकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी प्रबन्ध–न्यासी व समिति आदि शामिल हैं, को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूंजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्राविधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।

7.33 न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिससें न्यास का समुचित प्रबन्धन किया जा सके।

7.34 न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक, तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य कार्य उन व्यक्तियों से, अधिकारियों या संस्था से उन शर्तों पर ले सकते हैं जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।

7.35 न्यासीगण अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेंगे जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।

7.36 उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध करना।

8. न्यास की वर्तमान प्रबन्ध समिति / संस्थापक प्रबन्ध समिति–

न्यास की प्रबन्ध समिति में निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे जो न्यासियों के बहुमत से चुने जायेगें।

1. मुख्य न्यासी / प्रबन्धक
2. अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष
4. मंत्री
5. कोषाध्यक्ष

तथा 02 सदस्य

न्यास की वर्तमान/संस्थापक प्रबन्धसमिति निम्न है–

क्र0 सं0	नम	पिता/पति का नाम	पद	पता
1	वकील सिंह	स्व0 राम प्रसाद सिंह	मुख्य न्यासी/ प्रबन्धक/ संस्थापक	ग्राम–भगौतीपुर, पो0–धनौतीखुर्द, जिला–देवरिया।
2	संग्राम सिंह	स्व0 राम प्रसाद सिंह	अध्यक्ष	206/8 सच्चिदानन्द मार्ग, न्यू कालोनी, देवरिया।
3	श्रीमती उर्मिला देवी	श्री संग्राम सिंह	उपाध्यक्ष	206/8 सच्चिदानन्द मार्ग, न्यू कालोनी, देवरिया।
4	अभिनीत सिंह	श्री वकील सिंह	मंत्री	30/16 न्यू कालोनी, देवरिया।
5	अभिषेक कुमार सिंह	श्री संग्राम सिंह	कोषाध्यक्ष	206/8 सच्चिदानन्द मार्ग, न्यू कालोनी, देवरिया।
6	अभिमन्यु सिंह	श्री संग्राम सिंह	सदस्य	206/8 सच्चिदानन्द मार्ग, न्यू कालोनी, देवरिया।
7	अभिजीत सिंह	श्री वकील सिंह	सदस्य	206/8 सच्चिदानन्द मार्ग, न्यू कालोनी, देवरिया।

8.1 **प्रबन्ध समिति का कार्यकाल –**

प्रबन्घ समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों का कार्यकाल उनके जीवनपर्यन्त होगा या वे जब चाहे स्वेच्छा से पद से हट सकेंगे।

8.2 **न्यासी परिषद–**

न्यास के वर्तमान प्रबन्ध समिति के सभी सदस्यगण व पदाधिकारीगण न्यासी परिषद के सदस्य होंगे तथा इनके सभी बालिग पुत्र–पुत्रियां इसके स्वाभाविक सदस्य होंगे। न्यासी परिषद ही बहुमत से प्रबन्ध समिति का चुनाव करेगी। विवाद या असमहमति की स्थिति में न्यासी परिषद का वंशानुक्रम में श्रेष्ठ व्यक्ति प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों को नामित करेगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकेगी।

9. संस्थापक सदस्यों द्वारा ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज से सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोग ट्रस्ट को पांच सौ रुपया ट्रस्ट को दान देकर न्यासी परिषद के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते हैं।

नोट– वकील सिंह ट्रस्ट के आजीवन मुख्य न्यासी/प्रबन्धक रहेंगे। वकील सिंह के उपरान्त मुख्य न्यासी/प्रबन्धक पद पर चुनाव साधारण सभा/न्यासी परिषद द्वारा बहुमत से किया जायेगा। मुख्य न्यासी/प्रबन्धक पद पर कभी किसी भी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति नही बैठेगा जो ट्रस्ट संस्थापक वकील सिंह का सम्बन्धी न हो।

10. ट्रस्ट का सदस्यों की निर्योग्यता –

न्यास पत्र के बिन्दु–9 में उल्लिखित प्राविधान के बावजूद ऐसा कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य (या अध्यक्ष) नहीं बन सकता है, जो–

10.1 पागल/मानसिक रुप से बीमार हो।

10.2 नैतिक अपराध के आरोप से दण्डित हो।

10.3 ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करे।

यदि ट्रस्ट को कोई सदस्य बनाने के बाद उक्त तीनों में से किसी एक प्रतिबन्ध के अंतर्गत आ जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस सम्बन्ध में ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे किसी भी सदस्य को अध्यक्ष अपने विवेकानुसार कभी भी बर्खास्त कर सकेगा।

11 ट्रस्ट की कार्यप्रणाली–

11.1 ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी। मुख्य न्यासी/प्रबन्धक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह प्रबन्ध समिति एवं ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा।

11.2 कोई भी निर्णय ट्रट की साधारण सभा/न्यासी परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जाने पर ही ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।

11.3 ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष में दो बार कराया जाना आवश्यक होगा। बैठक बुलाने का दायित्व अध्यक्ष का होगा।

11.4 ट्रस्ट की साधारण सभा की सदस्य संख्या के 1/4 की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में स्थगित हुई बैठक को एक माह के भीतर दुबारा बैठक कराना अनिवार्य होगा।

11.5 कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में बैठक आयोजित न होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हित में लिया गया कोई निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा। किन्तु ऐसे किसी भी निर्णय के पक्ष समर्थन में संस्थापक सदस्यों या इनकी अनुपस्थिति में न्यासी परिषद के कम से कम कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

11.6 बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उनके स्थायी पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या मोबाइल फोन द्वारा भी बैठक के दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पहले दी जायेगी।

वकील सिंह

12. ट्रस्टियों/न्यासीगणों के अधिकार–

ट्रस्ट के पदाधिकारी/सदस्यों के निम्नवत अधिकार होंगे।

(क) मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक –

- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक ट्रस्ट का मुख्य कार्यपालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा ट्रस्ट मण्डल की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, उसका संचालन करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्षता करेगा।
- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक को अतिरिक्त मत या स्वविवेक द्वारा किसी प्रस्ताव को पारित व निरस्त करने का अधिकार होगा।
- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक को ट्रस्ट के हित में समितियों व संस्थाओं का गठन कर उसके पदाधिकारियों को नियुक्ति करने का अधिकार होगा।
- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक ट्रस्ट के अधीन गठित समितियों एवं संस्थाओं को ट्रस्ट के हितों के विपरीत कार्य करने की स्थिति में भंग कर सकता है तथा नई समितियों का गठन कर सकता है।
- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक को ट्रस्ट भंग करने का, दूसरा ट्रस्ट गठित करने का अधिकार होगा।
- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक ट्रस्ट द्वारा संचालित समितियों, संस्थाओं व उनके अभिलेखों की आकस्मिक जांच कर सकेगा तथा जांच में पायी जाने वाली अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित कर वैधानिक कार्यवाही कर सकता है।
- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक ट्रस्ट मण्डल से समय–समय पर सलाह ले सकेगा, सलाह पर अमल करने या न करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक के विवके पर निर्भर होगा। आवश्यकता पड़ने पर विधिक सलाहकार से भी सलाह लेने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक को होगा।
- ट्रस्ट के कार्यों को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से दान तथा वित्तीय गैर संस्थानों से ऋण प्राप्त किया जायेगा, जिसका सर्वाधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित होगा। यदि किसी सदस्य/सह न्यासी द्वारा ट्रस्ट के हितों के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसे ट्रस्ट से निष्कासित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्ट को होगा।
- ट्रस्ट के पक्ष में राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा पत्र के विरुद्ध किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सी0सी0/ओ0डी0 ऋण आदि प्राप्त कर ट्रस्ट को आर्थिक मदद देना।
- समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना एवं राजकीय सहायता व अनुदान प्राप्त करना।

- ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उस पर नियंत्रण रखना तथा इसके विरुद्ध समस्त मुकदमों/न्यायिक कार्यों की पैरवी करना।
- ट्रस्ट के बैंक खातों का संचालन करना, धनराशि जमा करने, निकालने का पूर्ण दायित्व वहन करना।
- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक को ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं के संचालन के लिए भूमि व भवन क्रय-विक्रय करने या किराया पर देने का अधिकार होगा।
- मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों को नियुक्त करने, रिक्त पदों को भरने, निष्कासन करने, अवकाश स्वीकार करने, प्रोन्नति देने व कार्यमुक्त करने का अधिकार होगा।
- ट्रस्ट के अधीन गठित समितियों व संस्थाओं के विभिन्न प्रकार की सदस्यता हेतु नियमावली बनाना व सदस्यता शुल्क का निर्धारण करना व इसके लिए इकाई गठित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक को होगा।

(ख) अध्यक्ष –

- ट्रस्ट की साधारण सभा या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारु संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।
- मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।
- ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले सदस्यों को ट्रस्ट के प्रबन्धक की सहमति से ट्रस्ट से बर्खास्त एवं समाप्ति।
- न्यास व न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संचालन तथा सेवा समाप्ति।
- न्यास/न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णय (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हो) के क्रियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- न्यास के सभी पत्राचार करना।
- न्यास की समस्त राशियों व खातों का संचालन मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/संस्थापक की अनुमति से करना।
- सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब-किताब पर नियंत्रण रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों में उन्हें प्रस्तुत करना।
- किसी मान्यता प्राप्त बैंक में खाता खोलना एवं उसका संचालन करना।
- जहाँ कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहां अन्तिम निर्णय देना।

(ख) उपाध्यक्ष–

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करना।

(ग) **मंत्री–**

- ट्रस्ट के दो वार्षिक बैठकों एवं अन्य सभी प्रकार की बैठकों का आयोजन/प्रबन्धन करना।
- ट्रस्ट के निर्देशानुसार समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना।

(घ) **कोषाध्यक्ष–**

- अध्यक्ष की अनुमति से समस्त प्रकार के वित्तीय कार्य करना एवं उसका रख–रखाव करना तथा ट्रस्टी के निर्देशानुसार उसके साथ खातों का संचालन करना।
- अध्यक्ष और मंत्री की लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी व्यक्ति को ट्रस्ट का सदस्य बनाने हेतु शुल्क प्राप्त करना तथा तदनुसार ही चल/अचल सम्पत्ति दान के रुप में प्राप्त करना।
- अपने दायित्वों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के अभिलेखों का रख–रखाव करना। ट्रस्टी द्वारा मांगे जाने पर समस्त अभिलेख प्रस्तुत करना।
- ट्रस्ट/ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं के खातों का वार्षिक सम्परीक्षा करना।

(ड.) **ट्रस्ट सदस्य–**

- ट्रस्ट की बैठकों में प्रतिभाग करना, राय तथा मत देना।

13. **ट्रस्ट डीड में संशोधन–**

वर्तमान ट्रस्ट डीड में यदि प्रबन्धसमिति संशोधन करना चाहे तो ट्रस्टीगण के दो तिहाई बहुमत तथा प्रबन्धक की सहमति के आधार पर वांछित संशोधन किया जा सकेगा। जो पंजीकरण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

14. **विघटन–**

अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिती उत्पन्न होती है तो यह इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन होगा।

मैं वकील सिंह पुत्र स्व0 राम प्रसाद सिंह ग्राम–भगौतीपुर, पो0–धनौतीखुर्द, जिला–देवरिया (उ0प्र0) 274001 का रहने वाला हूं। मैं उपरोक्तानुसार स्प्रींगशाईन एजूकेशनल ट्रस्ट (Springshine Educational Trust) का पंजीकरण कराकर इसको स्थापित करता हूं।

वकील सिंह

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक
(वकील सिंह)

राम सुमेर पाण्डेय

गवाह–1 रामसुमेर पाण्डेय पुत्र राजवंशी पाण्डेय स्था० म.नं. 4/10 वार्ड नं.16 कालिन्द पब्लिक स्कूल भुजौली कॉलोनी देवरिया 8004599215

आदर्श सिंह

गवाह–2 आदर्श सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह स्था० मु.-डेरामल्ल तह० व जिला देवरिया 8858223801

मजमुनकर्ता

(विनोद सिंह) विनोद सिंह एड०
एडवोकेट 5-10-2021
तहसील कोर्ट, देवरिया।